



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274331
CG-DL-E-10072026-274331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 551]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 609(अ).— केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), प्ररूप ज में, शर्त 7 में शब्द "180 दिनों" को शब्द "नौ महीने" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल नियम में, उपाबंध-1 में, पद (1) में शब्द "दूसरी तिमाही" को शब्द "तीसरा तिमाही" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. के-43022/83/2025-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या के सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या के सा.का.नि. 114 (अ), तारीख 03 फरवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2026

G.S.R. 609(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in Form H, in Condition 7, for the words “one hundred eighty days”, the words “nine months” shall be substituted.
3. In the principal rules, in Annexure-I, in item (1), for the words “second quarter”, the words “third quarter” shall be substituted.

[F. No. K-43022/83/2025-SEZ]

VIMAL ANAND Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and was lastly amended *vide* notification G.S.R. 114(E), dated the 3rd February, 2026.